

IPCC: छठी आकलन रिपोर्ट का भाग तीन

प्रलिस के लयः

जलवायु परवर्तन पर अंतर-सरकारी पैन पैनल (IPCC), क्योटो प्रोटोकॉल, पेरसि समझौता, गरीनहाउस गैसों की छठी आकलन रिपोर्ट ।

मेन्स के लयः

जलवायु परवर्तन (आईपीसीसी) पर अंतर-सरकारी पैनल की छठी आकलन रिपोर्ट, जलवायु परवर्तन, अनुकूलन उपाय, जलवायु परवर्तन का प्रभाव ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु वजिज्ञान नकिय, [जलवायु परवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल \(IPCC\)](#) ने अपनी [छठी आकलन रिपोर्ट \(AR6\)](#) का तीसरा भाग प्रकाशति कयि ।


- रिपोर्ट का दूसरा भाग मार्च 2022 में प्रकाशति हुआ था जो [जलवायु परवर्तन के प्रभावों, ज़ोखमिों और कमज़ोरयिों एवं अनुकूलन वकिल्पो](#) से संबंघति है ।
- इस रिपोर्ट का पहला भाग वर्ष 2021 में [जलवायु परवर्तन के भौतिक वजिज्ञान](#) से संबंघति था । इसमें यह बताया गया था कविर्ष [2040 से पहले ही वैश्वकि तापमान में 1.5 डगिरी सेल्सयिस की वृद्धि](#) की संभावना है ।

रिपोर्ट के प्रमुख नषिकर्षः

- गरीनहाउस गैस उत्सर्जनः**
 - वर्ष 2019 में वैश्वकि शुद्ध मानवजनति [गरीनहाउस गैस \(GHG\) उत्सर्जन 59 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष \(Gigatonnes of Carbon Dioxide Equivalent- GtCO₂e\)](#) था, जो वर्ष 1990 की तुलना में 54% अधिक था ।
 - शुद्ध उत्सर्जन से तात्पर्य दुनयि के जंगलों और महासागरों द्वारा अवशोषति कयि गए उत्सर्जन में कटौती के बाद होने वाले उत्सर्जन से है ।
 - मानवजनति उत्सर्जन से तात्पर्य ऐसे उत्सर्जन से है जो ऊर्जा के लयि कोयले को जलाने या जंगलों को काटने जैसीमानव गतविधियिों के कारण होता है ।
 - यह उत्सर्जन वृद्धि मुख्य रूप से जीवाश्म ईधन के जलने और औद्योगकि क्षेत्र से CO₂ उत्सर्जन के साथ-साथ मीथेन उत्सर्जन से प्रेरति है ।
 - लेकनि वर्ष 2010-19 की अवध में वकिस की औसत वार्षकि दर 1.3% प्रतविर्ष हो गई, जबकविर्ष 2000-09 की अवध में यह 2.1% प्रतविर्ष थी ।
 - कम-से-कम 18 देशों ने अपनी ऊर्जा प्रणाली के डीकार्बोनाइज़ेशन, ऊर्जा दक्षता उपायों और कम ऊर्जा मांग के कारण लगातार 10 वर्षों से अधिक समय तक GHG उत्सर्जन को कम कयि है ।

Global net anthropogenic emissions have continued to rise across all major groups of greenhouse gases.


a. Global net anthropogenic GHG emissions 1990–2019 (6)




■ सबसे कम वकिसति देशों द्वारा उत्सर्जन:

- वर्ष 2019 में वैश्विक उत्सर्जन का केवल 3.3% उत्सर्जन करने वाले सबसे कम वकिसति देशों (LDCs) के साथ कार्बन असमानता हमेशा की तरह व्याप्त है।
- वर्ष 1990-2019 की अवधि में उनका औसत प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन केवल 1.7 टन CO₂ था, जबकि वैश्विक औसत 6.9 tCO₂e था।
- वर्ष 1850 से वर्ष 2019 की अवधि में LDC ने जीवाश्म ईंधन और उद्योग से कुल ऐतिहासिक CO₂ उत्सर्जन में 0.4% से कम का योगदान दिया।
- विश्व स्तर पर विश्व की 41% आबादी वर्ष 2019 में प्रतिव्यक्ति 3 tCO₂e से कम उत्सर्जन करने वाले देशों में रहती थी।

b. Historical cumulative net anthropogenic CO₂ emissions per region (1850–2019)



c. Net anthropogenic GHG emissions per capita and for total population, per region (2019)




■ पेरिस समझौते की प्रतज्ञिज्ञा:

- अक्टूबर 2021 तक देशों द्वारा घोषित NDC को जोड़ने पर आईपीसीसी ने पाया कि इस सदी में ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की संभावना है जो [पेरिस समझौते](#) के जनादेश को वफिल कर देगा।
 - पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों द्वारा की गई वर्तमान प्रतज्ञिज्ञाओं को राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारित योगदान (Nationally Determined Contributions- NDCs) के रूप में जाना जाता है।

- इस योजना के वफिल होने में कोयला, तेल और गैस जैसे मौजूदा और नयोजति जीवाश्म ईंधन के बुनियादी ढाँचों का योगदान ज़्यादा होगा।
- सबसे बेहतर परदृश्य के रूप में, जसि C1 मार्ग के तौर पर जाना जाता है, आईपीसीसी इस बात की रूपरेखा तैयार करता है कि तापमान को सीमित या बिना कसि 'ओवरशूट' के 1.5 डगिरी सेल्सयिस तक सीमित करने के लिये दुनिया को क्या करने की आवश्यकता है।
 - ओवरशूट से तात्पर्य वैश्विक तापमान से है जो अस्थायी रूप से 1.5 डगिरी सेल्सयिस की सीमा को पार कर सकता है, लेकिन फरि उन तकनीकों का उपयोग करके वापस लाया जाता है जो वातावरण से CO₂ अवशोषित करते हैं।
- C1 मार्ग को प्राप्त करने के लिये वैश्विक GHG उत्सर्जन में वर्ष 2030 तक 43% की गरिवट होनी चाहिये।

a. Median global warming across scenarios in categories C1 to C8



■ कम उत्सर्जन प्रौद्योगिकियाँ:

- 1.5 डगिरी सेल्सयिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये ऊर्जा, भवन, परिवहन, भूमि और अन्य क्षेत्रों में व्यापक 'सस्टिम ट्रांसफॉर्मेशन' की आवश्यकता है तथा इसमें प्रत्येक क्षेत्र में विकास के कम उत्सर्जन या शून्य कार्बन के मार्ग को अपनाना और सस्ती कीमत पर समाधान उपलब्ध कराना शामिल होगा।
- कम उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों की लागत में वर्ष 2010 से लगातार गरिवट आई है। एक इकाई लागत के आधार पर सौर ऊर्जा में 85%, पवन में 55% और लथियम-आयन बैटरी में 85% की गरिवट दर्ज की गई है।
- उनकी तैनाती या उपयोग वर्ष 2010 के बाद से कई गुना बढ़ गया है अर्थात् सौर ऊर्जा के लिये 10 गुना तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये 100 गुना।
- ऊर्जा क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना, औद्योगिक क्षेत्र में मांग प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता तथा भवनों के निर्माण में 'पर्याप्तता' एवं दक्षता के सिद्धांतों को अपनाना समाधानों में से एक है।

■ मांग-पक्ष शमन:

- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मांग-पक्ष शमन (Demand-Side Mitigation) अर्थात् व्यवहार परिवर्तन जैसे पौधे-आधारित आहार को अपनाना या पैदल चलना और साइकिल चलाना "आधारभूत परदृश्यों की तुलना में वर्ष 2050 तक वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन के अंतिम उपयोग क्षेत्रों में 40-70% तक कमी ला सकता है।
 - वर्तमान में मांग-पक्ष शमन की अधिकांश संभावनाएँ विकसित देशों में नहित हैं।

■ सकल घरेलू उत्पाद पर प्रभाव:

- IPCC के अनुसार, कम लागत वाले जलवायु शमन विकल्प वर्ष 2030 तक वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन को आधा कर सकते हैं। वास्तव में वारमिंग को सीमित करने के दीर्घकालिक लाभ, लागत से कहीं अधिक हैं।
- डीकार्बोनाइज़ेशन (Decarbonisation) में नविश का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा।

■ सूक्ष्म स्तर पर वृत्ति में कमी:

- हालाँकि महत्त्वाकांक्षी शमन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक स्तरों पर वृत्तीय प्रवाह में कमी देखी जाती है।
- यह अंतराल कृषि, वानिकी और अन्य भूमि उपयोग (Agriculture, Forestry and Other Land Uses- AFOLU) क्षेत्र तथा विकासशील देशों के लिये सबसे अधिक है।
 - लेकिन वैश्विक वृत्तीय प्रणाली काफी बड़ी है और इन अंतरालों को समाप्त करने के लिये "पर्याप्त वैश्विक पूंजी और तरलता" मौजूद है।
- विकासशील देशों के लिये यह सार्वजनिक अनुदानों को बढ़ाने की सफारिश करता है, साथ ही "सार्वजनिक वृत्ति के स्तर में वृद्धि और सार्वजनिक रूप से जुटाए गए नजी वृत्तीय प्रवाह को विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों में 100 बिलियन अमेरिकी डालर के लक्ष्य को संदर्भित करता है जिसके द्वारा जोखिम को कम करने, कम लागत पर नजी प्रवाह का लाभ उठाने हेतु सार्वजनिक गारंटी के उपयोग में वृद्धि, स्थानीय पूंजी बाजार का विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रक्रियाओं में अधिक विश्वास उत्पन्न किया जाता है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल:

- यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है।
- IPCC की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organisation- WMO) द्वारा वर्ष 1988 में की गई थी। यह जलवायु परिवर्तन पर नियमित वैज्ञानिक आकलन, इसके नहितार्थ और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ-साथ अनुकूलन तथा शमन के विकल्प भी उपलब्ध कराता है।
- IPCC आकलन जलवायु संबंधी नीतियों को विकसित करने हेतु सभी स्तरों पर सरकारों के लिये एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं और वे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) में इस पर परचिर्चा करते हैं।

IPCC आकलन रिपोर्ट:

- आकलन रिपोर्ट, जो पहली बार वर्ष 1990 में सामने आई थी, पृथ्वी की जलवायु की स्थिति का सबसे व्यापक मूल्यांकन है।
 - प्रत्येक सात वर्षों में IPCC मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है।
- बदलती जलवायु को लेकर एक सामान्य समझ विकसित करने हेतु सैकड़ों विशेषज्ञ प्रासंगिक, प्रकाशित वैज्ञानिक जानकारी के हर उपलब्ध स्रोत का अध्ययन करते हैं।
- अन्य चार मूल्यांकन रिपोर्ट्स वर्ष 1995, वर्ष 2001, वर्ष 2007 और वर्ष 2015 में प्रकाशित हुईं।
 - ये रिपोर्ट्स जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का आधार हैं।
- प्रत्येक मूल्यांकन रिपोर्ट में पछिली रिपोर्ट के काम पर अधिक सबूत, सूचना और डेटा एकत्रित किया जाता है।
 - ताक जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों के विषय में अधिक स्पष्टता, निश्चिन्ता और नए साक्ष्य मौजूद हों।
- इन्हीं वार्ताओं ने पेरिस समझौते और क्योटो प्रोटोकॉल को जन्म दिया था।
 - पाँचवीं आकलन रिपोर्ट के आधार पर पेरिस समझौते पर वार्ता हुई थी।
- आकलन रिपोर्ट- वैज्ञानिकों के निम्नलिखित तीन कार्यकारी समूहों द्वारा तैयार की जाती है:
 - कार्यकारी समूह- I: जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार से संबंधित है।
 - कार्यकारी समूह- II: संभावित प्रभावों, कमजोरियों और अनुकूलन मुद्दों को देखता है।
 - कार्यकारी समूह-III: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये की जा सकने वाली कार्रवाइयों से संबंधित है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस